

**भारत सरकार**  
**परमाणु ऊर्जा विभाग**  
12.05.2016 को राज्य सभा में  
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2083

एटीएस द्वारा परमाणु खनिज बेरिल को जब्त किया जाना

2083. श्री मोती लाल वोरा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि आंतक रोधी दस्ते (एटीएस) ने राजस्थान के कनकपुरा स्थित कंटेनर डिपो से 20 टन परमाणु खनिज बेरिल जब्त किया है;
- (ख) इस संबंध में अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं;
- (ग) क्या ये अपराधी इस प्रतिबंधित खनिज को चीन, हांगकांग आदि देशों को निर्यात कर रहे थे; और
- (घ) प्रतिबंधित खनिज के अवैध निर्यात का कार्य कब से चल रहा है; और इस अवैध निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ):

- (क) जी, हाँ। आंतक रोधी दस्ते ने, कनकपुरा, राजस्थान के कंटेनर डिपो से लगभग 31 टन नाभिकीय सामग्री (बेरिल) जब्त की है।
- (ख) इस संबंध में, अब तक छः लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तथा उन्हें आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं।
- (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) के एक संघटक यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) को, एक बेनामी पत्र के माध्यम से, बेरिल के गैर-कानूनी निर्यात के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। तथ्यों का पता लगाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यह सूचना केन्द्रीय आसूचना एजेंसी (आईबी) को दी गई। आई बी, कानपुर के कार्मिकों ने सूचित किया है कि, बेरिल (परमाणु ऊर्जा अधिनियम-1962 के तहत एक विहित पदार्थ) का कनसाइनमेंट गैर-कानूनी तरीके से, राजस्थान से बेंगलूरु भेजा जा रहा था, और बेंगलूरु से उसका निर्यात चीन को किया जा रहा था।

- (घ) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय को, बेरिल के गैरकानूनी निर्यात के संबंध में सूचना, पश्चिमी क्षेत्र, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपुर में प्राप्त दिनांक 4.5.2015 के बेनामी पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यह सूचना, तथ्यों का पता लगाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय आसूचना एजेंसी (आईबी) को दी गई थी। आई बी, जयपुर के कार्मिकों ने सूचित किया कि, बेरिल (परमाणु ऊर्जा अधिनियम-1962 के तहत एक विहित पदार्थ) का कनसाइनमेंट गैर-कानूनी तरीके से राजस्थान से बेंगलूरु भेजा जा रहा है तथा बेंगलूरु से यह चीन को निर्यात किया जा रहा है।

आतंक रोधी दस्ता, राजस्थान पुलिस ने, कनकपुरा, राजस्थान के कंटेनर डिपो से लगभग 31 टन नाभिकीय सामग्री (बेरिल) जब्त की है। इस संबंध में, अब तक छः लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तथा उन्हें आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं।

विद्यमान अधिनियम तथा नियम, तस्करी करके नाभिकीय परिसंपत्तियां देश के बाहर ले जाए जाने के खतरे को रोकने तथा उनका सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, परमाणु खनिजों के सामरिक स्वरूप के मद्दे नजर, तथा खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में जनवरी, 2015 में हुए संशोधन को देखते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग ने, परमाणु खनिजों के संरक्षण के उद्देश्य से, 'परमाणु खनिज रियायत नियमावली 2015' तथा 'परमाणु खनिज (संरक्षण एवं विकास) नियमावली, 2015' का प्रारूप तैयार किया है, तथा उसे भारत सरकार के खनन मंत्रालय को अग्रेषित किया है।

\*\*\*\*\*